Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2024 = 8.153
https://www.srjis.com/issues_data/239
Peer Reviewed & Refereed Journal, SEPT-OCT 2024, Vol- 13/85

ग्राम पंचायत योजनाओं के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायतों की भूमिकाः दलित सशक्तिकरण के संदर्भ में।

मृदुल पटेल
(शोध छात्र), समाजशास्त्र विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, (म. प्र.)
डॉ. सुशीला माहौर
प्राचार्य, शासकीय वी. आर. जी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुरार, ग्वालियर, (म. प्र.)

Paper Received On: 20 SEPT 2024
Peer Reviewed On: 24 OCT 2024
Published On: 01 NOV 2024

Abstract

यह शोध पत्र ग्राम स्तर पर दलितों के सामाजिक–आर्थिक विकास हेतु चलाई जा रही ग्राम पंचायत योजनाओं के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायतों की भूमिका का वर्णन करता है और साथ ही यह शोध पत्र भारत में दलित समुदायों को सशक्त बनाने पर उनके प्रभाव का पता लगाता है। यह सामाजिक–आर्थिक असमानताओं को दूर करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में विकेंद्रीकृत शासन के महत्व पर प्रकाश डालता है। ग्राम पंचायतें ग्रामीण शासन में महत्वपूर्ण हैं और दलित सशक्तिकरण में उनके प्रयासों का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विश्लेषण किया जा सकता है। नीतिगत ढाँचों और जमीनी स्तर की पहलों की जाँच करके अध्ययन ग्राम पंचायत योजनाओं में दलितों के लिए समान संसाधन आवंटन, भागीदारी और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में पंचायती राज संस्थाओं (PRI) की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है। यह अध्ययन बताता है कि दलित सशक्तिकरण के संदर्भ में ग्राम स्तर पर ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए ग्राम पंचायत योजनाओं के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायतों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है।

मुख्य शब्द *– पंचायती राज संस्था, दलित सशक्तिकरण, ग्राम पंचायत योजना, विकेंद्रीकृत शासन, सामाजिक –आर्थिक विकास।*

प्रस्तावना –

पंचायती राज भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है। लोकतंत्र मुख्य रूप से विकेंद्रीकरण पर आधारित शासन व्यवस्था है। विकेंद्रीकरण का अर्थ है– शासन की सत्ता को केंद्रित करने के बजाय उसे स्थानीय स्तरों पर बांटना। शासन व्यवस्था में शीर्ष स्तरों (केंद्र व राज्य) पर कोई भी लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक की निचले स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्य एवं मान्यताएं मजबूत रूप से न स्थापित हों। किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए यह अति आवश्यक है कि उसे राष्ट्र के सबसे निचले पायदान पर स्थित व्यक्ति तक पहुंचना और उसे विकास की मुख्य धारा से जोड़ना। लोकतांत्रिक राजनीतिक

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

व्यवस्था में पंचायती राज ही वह माध्यम है जो शासन को जनता तक लेकर जाता है। यह वह माध्यम है जिसके द्वारा जनता व प्रशासन के बीच की दूरी कम होती है।

पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण समाज की रीढ़ है। लेकिन गाँव के समग्र विकास के लिए यह भी जरूरी है कि गाँव में रहने वाले वंचित वर्ग के लोगों के आर्थिक विकास के साथ–साथ सामाजिक विकास को अनदेखा न किया जाए। बिना सामाजिक विकास के आर्थिक विकास अधूरा है।

इसे ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा विभिन्न सामाजिक–आर्थिक योजनाएं ग्रामीण स्तर पर चलाई जाती है, जिसे क्रियान्वित करने का जिम्मा ग्राम पंचायतों को दिया गया है। ग्राम पंचायतें पंचायती राज व्यवस्था की सबसे आधारभूत इकाई है। पंचायती राज व्यवस्था का मूलभूत लक्ष्य है कि गाँव में पुरानी व्यवस्थाओं को परिवर्तित करके एक ऐसी समता मूलक समाज की रचना की जाए जिसमें असमानता, अन्याय व शोषण की लकीरें विद्यमान न हो। ऐसा माना जाता है कि सामाजिक न्याय व आर्थिक विकास के मार्ग पर प्रशस्त गाँव ही देश के विकास को वास्तविक रूप दे सकते हैं।

समस्या का कथन –

संवैधानिक दर्जा मिलने के उपरांत से आज तक हमारे देश के गाँव की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में पंचायतें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। लेकिन सदियों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बहिष्कार से पीड़ित एवं जातिगत संस्तरण में सबसे निचले स्तर पर स्थित दलित समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के संबंध में पंचायतों की भूमिका पर सवाल भी उठे हैं।

ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाता है, जिसका उद्देश्य दलितों सहित हाशिए पर स्थित समुदायों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार करके उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करना है। सरकार द्वारा रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता आदि से संबंधित तमाम योजनाओं का संचालन ग्राम पंचायतों की सहायता से चलाई जा रही है। कुछ प्रमुख योजनाओं और उनके क्रियान्वयन में ग्राम पंचायतों की भूमिका के संदर्भ में यह जानने का प्रयास किया गया है कि ये योजनाएं दलितों के सशक्तिकरण को किस सीमा तक प्रभावित किया हैं।

अध्ययन का उद्देश्य –

(1) समाजिक–आर्थिक विकास हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर चलाई जा रही प्रमुख ग्राम पंचायत योजनाओं एवं दलित सशक्तिकरण में उनकी प्रभावशीलता का वर्णन करना।

(2) दलित सशक्तिकरण के उद्देश्य से ग्राम पंचायत योजनाओं को लागू करने में ग्राम पंचायतों की भूमिकाओं का वर्णन करना।

अध्ययन की आवश्यकता –

ग्राम पंचायतें, इस विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली की आधारभूत संरचना, ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन योजनाओं का प्राथमिक उद्देश्य अक्सर गरीबी उन्मूलन,

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक कल्याण के इर्द–गिर्द घूमता है, जिसमें दलितों जैसे हाशिए पर पड़े समूहों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिन्होंने सदियों से सामाजिक भेदभाव का सामना किया है। दलित सशक्तिकरण में ग्राम पंचायतों की भूमिका का अध्ययन करने का महत्व यह समझने में निहित है कि स्थानीय शासन प्रणाली समावेशी विकास को कैसे बढ़ावा दे सकती है। भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों के रूप में वर्गीकृत दलितों ने ऐतिहासिक रूप से सामाजिक–आर्थिक अभाव का सामना किया है, और सरकारी योजनाओं का उद्देश्य उनकी जीवन स्थितियों को ऊपर उठाना है।

दलित सशक्तिकरण से संबंधित प्रमुख ग्राम पंचायत योजनाएं एवं उनको लागू करने में ग्राम पंचायतों की भूमिका –

मनरेगा योजना –

मनरेगा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2005 में शुरू किये गए विश्व के सबसे बड़े रोजगार गारंटी कार्यक्रमों में से एक है। यह योजना न्यूनतम वेतन पर सार्वजनिक कार्यों से संबंधित अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम एक सौ दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करता है।

दलितों के सामाजिक–आर्थिक विकास के संदर्भ में यदि मनरेगा की बात की जाए तो स्थिर आय प्रदान करके, मनरेगा आय असमानताओं को कम करने में सहायता करता है, जिससे दलित परिवारों को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में निवेश करने को प्रोत्साहन मिलता है, जो दलितों की दीर्घकालिक सामाजिक गतिशीलता के लिए महत्वपूर्ण हैं। (देशपांडे, 2011)

मनरेगा योजना का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाता है। इस संबंध में ग्राम पंचायत की यह भूमिका होती है कि वह पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त करे और प्राप्त पंजीकरण आवेदनों का सत्यापन करे। इसके अंतर्गत परिवारों का पंजीकरण करना भी शामिल है। जो काम होने हैं उसके संदर्भ में आवेदन प्राप्त करना और जॉब कार्ड (जेसी) जारी करना होता है। मनरेगा के अंतर्गत जो काम कराए जाने हैं उनकामों की पहचान भी ग्राम पंचायतें करती हैं और उसके संबंध में योजना बनाती है, इत्यादि।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पीएमएवाई–जी) –

इस योजना की शुरुआत 2022 तक "सभी के लिए आवास" के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, पूर्ववर्ती ग्रामीण आवास योजना इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) को 1 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पीएमएवाई–जी) में पुनर्गठित करके किया गया। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है।

इसका उद्देश्य मार्च 2022 के अंत तक उन सभी ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का घर उपलब्ध कराना, जो बेघर हैं या कच्चे या जीर्ण–शीर्ण घरों में रह रहे हैं तथा गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) ग्रामीण लोगों को आवास इकाइयों के निर्माण और मौजूदा अनुपयोगी कच्चे घरों के

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

उन्नयन में पूर्ण अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करके मदद करना। इस योजना की इकाई सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मैदानी क्षेत्रों में 60:40 और पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में साझा की जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में आवास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके दलितों सहित हाशिए पर पड़े समुदायों की सामाजिक–आर्थिक गतिशीलता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। पीएमएवाई–जी का प्रभाव सिर्फ आवास से कहीं आगे जाता है, यह दलितों को व्यापक सामाजिक–आर्थिक उन्नति के लिए एक आधार प्रदान करता है। (कुंडू, 2020)

पीएमएवाई–जी की योजना के तहत, ग्राम पंचायतों को योजना के वास्तविक क्रियान्वयन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है। इसमें ग्राम पंचायतें ग्राम सभा बुलाकर एसईसीसी 2011 के आंकड़ों के आधार पर तैयार पात्र लाभार्थियों की प्राथमिकता सूची को अंतिम रूप देती है। साथ ही ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम पंचायत उन अतिरिक्त लाभार्थियों की सूची तैयार करती है, जो पात्र होते हुए भी पात्र लाभार्थियों की सूची से बाहर रह गए हैं। ग्राम सभा की सहायता से ग्राम पंचायतें ऐसे परिवारों की पहचान करती हैं जो स्वयं मकान नहीं बना सकते हैं, इत्यादि।

दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई–एनआरएलएम)

दीन दयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय आजीविका मिशन (एनआरएलएम) को ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), भारत सरकार द्वारा जून 2011 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के पुनर्गठित संस्करण के रूप में शुरू किया गया था। नवंबर 2015 में, कार्यक्रम का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना (डीएवाई–एनआरएलएम) कर दिया गया।

योजना का उद्देश्य वित्तीय समावेशन, क्षमता निर्माण और आजीविका के अवसरों तक पहुँच के माध्यम से दलितों सहित ग्रामीण गरीबों के स्वरोजगार और संगठन को बढ़ावा देकर गरीबी को कम करना है। यह एक ऐसी योजना है जो सामूहिक सशक्तिकरण के माध्यम से जाति आधारित आर्थिक भेदभाव को कम करने और ऊपर की ओर गतिशीलता को बढ़ावा देकर ग्रामीण समाज में दलितों की सामाजिक स्थिति को मजबूत करती है। (ड्रेज, 2017)

मिशन डिजाइन में पीआरआई के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका की परिकल्पना की गई है, जिसके अंतर्गत पंचायतों का यह दायित्व है कि बीपीएल परिवारों की पहचान करें और उन्हें आत्मीयता आधारित एसएचजी में संगठित करें, जिसमें एससी और एसटी परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें विशेष रूप से आदिम कमजोर आदिवासी समूह (पीवीटीजी), सबसे गरीब परिवार, महिला प्रधान परिवार और घटते व्यवसायों में लगे परिवार होंगे। इसके अलावा पंचायतें गाँवध्ग्राम पंचायत स्तर/ब्लॉक स्तर पर एसएचजी के समूह को सुविधाजनक बनाने का प्रयास करेंगी और समूह के कार्यालय के लिए आवास और ऐसी अन्य बुनियादी सुविधाओं के संदर्भ में एसएचजी समूह के प्रभावी कामकाज के लिए बुनियादी

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

सुविधाएं प्रदान करना भी उनकी भूमिका में शामिल है। एसएचजी नेटवर्क की ओर से विभिन्न विभागों और एजेंसियों के साथ समन्वय करना भी पंचायत का दायित्व है, इत्यादि।

स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण (एसबीएम–जी) –

सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, भारत के प्रधान मंत्री ने 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की । एसबीएम–जी पहल का उद्देश्य खुले में शौच को खत्म करना और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के बुनियादी ढांचे में सुधार करना है, जो दलितों जैसे हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए विशेष रूप से परिवर्तनकारी है, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से सामाजिक–आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी नुकसानों का सामना किया है। एसबीएम–जी दलितों को जाति–संबंधी सफाई व्यवसायों से आगे बढ़ने में मदद करता है, सामाजिक स्वीकृति की सुविधा देता है और उन्हें स्वास्थ्य सेवा खर्चों के बजाय उत्पादक गतिविधियों में निवेश करने की अनुमति देता है (पाठक, 2018)।

पंचायती राज संस्थाओं की यह भूमिका है कि गाँव में हर नए घर की रिपोर्टिंग की जाए और उसे एमआईएस डेटाबेस में जोड़ा जाना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं को ग्राम सभा को निरंतर स्वच्छता व्यवहार के महत्व पर सामुदायिक जागरूकता बनाने के लिए प्रमुख स्वच्छता व्यवहार को संबोधित करना चाहिए। साथ ही ग्राम सभाओं को नियमित रूप से अपने गाँव की ओडीएफ स्थिति (महीने की निश्चित दिन/तारीख) के बारे में समुदाय को अपडेट करना चाहिए। गांव में बनने नए घरों को अपने स्वयं के शौचालय बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। पंचायती राज संस्थाएँ (पीआरआई), जमीनी स्तर के नेता, स्थानीय मीडिया, गैर–सरकारी संगठन, सीबीओ, एसएचजी, स्थानीय उद्यमी, युवा नेटवर्क, धार्मिक नेताध्आस्था संगठन, शैक्षणिक संस्थान, वन समुदाय, अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ता और एसबीएम (जी) कर्मचारी जागरूकता पैदा करने और व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने में शामिल हो सकते हैं, इत्यादि।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 2013 –

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 2013, जिसे 5 जुलाई, 2013 को पारित किया गया था, खाद्य सुरक्षा के पहलू में एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जो कल्याण–आधारित दृष्टिकोण से हटकर अधिकारों पर आधारित दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहा है। अधिनियम के अनुसार, ग्रामीण आबादी का 75% और शहरी आबादी का 50% कानूनी रूप से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का हकदार है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थी दो श्रेणियों में आते हैंः प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच) और अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवार, जिनमें से प्रत्येक को हर महीने 35 किलो अनाज (प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो) मिलता है। गेहूं की कीमत 2 रुपये प्रति किलो, चावल की कीमत 3 रुपये प्रति किलो और मोटे अनाज की कीमत 1 रुपये प्रति किलो है।

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

एनएफएसए के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा प्रावधान दलितों के स्वास्थ्य से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है जिसका परिणाम उनके आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने, रोजगार पाने और सामाजिक रूप से आगे बढ़ने के रूप में सामने आता है और साथ ही साथ यह दलितों को स्थानीय शासन में भागीदारी के लिए अवसर प्रदान करता है। (जोधका, 2015)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत पीआरआई को विभिन्न भूमिकाएँ सौंपी गई हैं। अधिनियम की धारा 25 स्थानीय प्राधिकारियों (पीआरआई सहित) को अपने–अपने क्षेत्रों में अधिनियम के समुचित कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी बनाती है। एनएफएसए की धारा 28 में प्रावधान है कि प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी या कोई अन्य प्राधिकारी या निकाय, जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है, उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस), लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के कामकाज पर आवधिक सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित करेगा या करवाएगा, तथा अपने निष्कर्षों को सार्वजनिक करेगा और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से आवश्यक कार्रवाई करेगा, इत्यादि।

आयुष्मान भारत–पीएमजेएवाई –

स्वास्थ्य कवरेज योजनाएँ हाशिए पर पड़े समूहों की सामाजिक–आर्थिक गतिशीलता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती हैं (सेन, 1999)। इस दृष्टिकोण से आयुष्मान भारत–पीएमजेएवाई एक महत्वपूर्ण योजना है। पीएम–जेएवाई दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है जो पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्तपोषित है। फरवरी 2018 में लॉन्च की गई यह योजना द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपये की बीमा राशि प्रदान करती है। स्वास्थ्य लाभ पैकेज में सर्जरी, चिकित्सा और डे केयर उपचार, दवाओं और निदान की लागत शामिल है।

एनएचपीएम का लक्ष्य है कि पंचायतें जागरूकता पैदा करने और सूचना प्रदान करने के मामले में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सहायक भूमिका निभाएं। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश लक्षित परिवारों के बीच आईईसी गतिविधियों को चलाने के लिए जिम्मेदार हैं ताकि वे अपने हक, लाभ कवर, सूचीबद्ध अस्पतालों और मिशन के तहत सेवाओं का लाभ उठाने की प्रक्रिया से अवगत हों। इसमें गाँव के स्वास्थ्य और पोषण दिवसों का लाभ उठाना, पंचायत कार्यालय में लाभार्थी परिवार की सूची उपलब्ध कराना, प्रत्येक लक्षित परिवार के लिए आशा कार्यकर्ताओं का दौरा और उन्हें योजना के बारे में शिक्षित करना, मास मीडिया आदि अन्य गतिविधियों के अलावा शामिल होंगे, इत्यादि।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना –

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना जनवरी, 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लड़कियों को शिक्षित करने के महत्व को बताना है। इस योजना का लक्ष्य बहु–क्षेत्रीय हस्तक्षेपों के माध्यम से बाल लिंग अनुपात में सुधार करना है, जिसमें लिंग पक्षपाती लिंग चयन की रोकथाम और लड़कियों की शिक्षा और उनके समग्र सशक्तिकरण को बढ़ावा देना

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

शामिल है। यह योजना हाशिए के समूहों के लिए शैक्षिक पहुँच बनाने के पीछे एक प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करती है, जो शिक्षा के माध्यम से दीर्घकालीन सामाजिक–आर्थिक गतिशीलता को संभव बनाती है(कुमार, 2017)। यह महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और मानव संसाधन विकास मंत्रालयों का त्रि–मंत्रालयी प्रयास है।

ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति (वीएचएसएनसी) का मौजूदा मंच, जो जीपी की एक उपसमिति है, बीबीबीपी की कार्ययोजना के समन्वय, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सीएसआर पर जीपी के लिए प्रसारित कार्य–बिंदुओं का पालन पंचायतों के सभी मंचों जैसे वार्ड सभा, ग्राम सभा, महिला सभा और जीपी में किया जाना है। पंचायत सभी महिला मतदाताओं की महिला सभा की बैठकें आयोजित करेगी और उन्हें की जा रही कार्रवाइयों के बारे में बताएगी। आंगनवाड़ी केंद्र गर्भवती माताओं, बच्चों और टीकाकरण के बारे में हर महीने ग्राम पंचायत को रिपोर्ट करेंगे, इत्यादि।

निष्कर्ष –

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि ग्राम पंचायतों में सामाजिक–आर्थिक अंतर को पाटने की अपार क्षमता है। योजनाओं का अंतिम उद्देश्य ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय के लक्ष्यों को साकार करना है। ग्राम पंचायतें अपनी भूमिकाओं का समुचित निर्वहन करके दलितों को ग्राम पंचायत योजनाओं से समान रूप से लाभ पहुंचा सकती हैं, उनका सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण कर सकती है और उन्हें समाज की मुख्यधारा शामिल करने में सहयोग दे सकती हैं। आज ग्राम पंचायतें ग्राम स्तर पर आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण पर बल दे रही हैं जो क्षमता निर्माण, सहभागितापूर्ण शासन और जाति–आधारित बाधाओं को खत्म करने के लिए निरंतर आवश्यक है। दलित सशक्तिकरण का मार्ग समतापूर्ण ग्रामीण विकास को प्राप्त करने के व्यापक लक्ष्य से जुड़ा हुआ है और ग्राम पंचायतें इस परिवर्तनकारी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

संदर्भ सूची –

द्रेज, जी. (2017). सेंस एंड सॉलिडरिटी : झोलावाला इकोनॉमिक्स फॉर ए एवरीवन. परमानेंट ब्लैक. दिल्ली.

जयराम, एन. (2019). दलित स्ट्रगल्स एंड डेवलेपमेंट पॉलिसीजः इंडियाज पथ टू इन्क्लूसिव एजुकेशन. ओरियंट ब्लैक स्वान. नोएडा.

जॉर्ज, एस., राव, वी., & शरण, एम. आर. (2024). टू हंड्रेड एंड फिफ्टी थाउजेंड डेमोक्रेसीजः ए रिव्यू ऑफ विलेज गवर्नमेंट इन इंडिया. वर्ल्ड बैंक ग्रुप.

जोधका, एस. एस. (2015). कास्ट इन कंटेंपरेरी इंडिया. रूटलेज. न्यूयॉर्क.

मेनन, एस. वी. (2007). ग्रॉस रूट डेमोक्रेसी एंड एंपावरमेंट ऑफ पीपलः इवेलुएशन ऑफ पंचायती राज इन इंडिया. रिसर्च गेट.

पाण्डेय, ए. डी. (2011). द ग्रामर ऑफ कास्टः इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन इन कंटेंपरेरी इंडिया. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस. नई दिल्ली.

पाठक, बी. (2018). मेकिंग ए स्वच्छ भारतः द रोल ऑफ सेनिटेशन इन ब्रिजिंग सोशियो–इकोनॉमिक डीवाइडस. सेज पब्लिकेशन. नई दिल्ली.

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

राज, जे. (2021). दलित्स इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्सः कास्ट वायलेंस एंड लोकल डेमोक्रेसी इन इंडिया. ग्लोबल रिसर्च नेटवर्क ऑन पार्लियामेंट्स एंड पीपल. लंदन.

राजगोपालन, एस. (2018). इवेलुएटिंग द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट 25. लाइव मिंट.

कुंडू, ए. (2000). इन्क्लूसिव अर्बन प्लानिंग एंड डेवलेपमेंट. सेज पब्लिकेशन. नई दिल्ली.

सेन, ए. (1999). डेवलपमेंट एज फ्रीडम. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस. लंदन.

ग्राम पंचायत विकास योजना मार्ग निर्देशिकाः 2015–16, 2018

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies